भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2798**

दिनांक 10 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्राकृतिक रबर का उत्पादन

2798. कुमारी राम्या हरिदासः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कुल कितना प्राकृतिक रबर का उत्पादन हुआ है;
(ख) क्या रबर आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उत्पादित प्राकृतिक रबर की कीमत में कमी आई है जिसके कारण लघु और मध्यम रबर उत्पादकों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार घरेलू बाजार में इस संकट का समाधान रबर आयात में कमी कर या आयात पर कुछ काल के लिए रोक लगाकर करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) वर्ष 2018-19 के दौरान प्राकृतिक रबड़ (एनआर) का कुल उत्पादन 648000 टन तक अनंतिम रूप से अनुमानित है । अप्रैल - मई 2019 के दौरान एनआर का उत्पादन 74000 टन तक अनंतिम रूप से अनुमानित है । 2018 - 19 तक एनआर का राज्य - वार उत्पादन अनुबंध में दिया गया है ।

(ख) और (ग) : घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ की कीमतें अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर रही हैं । तथापि, हाल के सप्ताहों के दौरान रबड़ की कीमतें बढ़ने लगीं और जून, 2019 में आरएसएस 4 ग्रेड के लिए औसत कीमत 150.29 रूपये प्रति कि.ग्रा. थी । प्राकृतिक रबड़ (एनआर) की कीमतें बाजार के मूल तत्वों और कारकों की श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ -साथ, प्रमुख उपभोक्ता देशों में आर्थिक विकास की प्रवृत्तियॉं, तेल/कृत्रिम रबड़ की कीमतें, मौसम के हालात और भावी बाजारों में विकास शामिल हैं । घरेलू एनआर बाजार सामान्यत: क्षेत्र विशिष्ट एवं मौसमी घटकों के कारण कुछ विचलनों के साथ विश्व बाजार की प्रवृतियों के अनुसार निर्धारित होता है। डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धता कें अंतर्गत एनआर के आयात पर कोई परिमाणात्मक प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किया जा सकता है । एनआर की घरेलू कीमतें आयात के संवेदनशील होती हैं। इसलिए एनआर के आयात को विनियमित करने के लिए, सरकार ने शुष्क रबड़ के आयात पर शुल्क ''20 प्रतिशत या 30 रूपये प्रति किलोग्राम '' जो भी कम हो, को दिनांक 30.4.2015 से बढ़ाकर ' 25 प्रतिशत या 30 रूपये प्रति किलोग्राम जो भी कम हो ' कर दिया है । जनवरी 2015 में सरकार ने अग्रिम लाइसेसिंग स्कीम के तहत आयातित शुष्क रबड़ के उपयोग की अवधि को 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है । विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने प्राकृतिक रबड़ के आयात पर दिनांक 20 जनवरी 2016 से चेन्नई और नावाशेवा (जवाहर लाल नेहरू पत्तन) को प्रवेश के पत्तन के रूप में प्रतिबंधित करके पत्तन प्रतिबंध अधिरोपित किए है ।

*****

अनुबंध

एनआर का राज्यवार उत्पादन (टन)				
राज्य	2015-16	2016-17	2017-18 (अ)	2018-19 (अ)
केरल	438,630	540,400	540,775	490,460
तमिलनाडु	19,495	21,140	21110	21500
पारंपरिक कुल	*458,125*	*561,540*	*561,885*	*511,960*
त्रिपुरा	44,245	50,985	50500	53050
असम	14560	19,970	23300	24300
मेघालय	7360	8950	9050	9100
नागालैंड	3020	4320	4820	4930
मणिपुर	1660	2090	1790	1850
मिजोरम	595	742	742	750
अरुणाचल प्रदेश	360	478	428	450
उत्तर पूर्व कुल	*71,800*	*87,535*	*90630*	*94,430*
कर्नाटक	29400	38800	38300	38,200
अं. और नि. द्वीप समूह	240	240	240	275
गोवा	640	645	575	625
महाराष्ट्र	925	1185	1185	1250
ओडिशा	315	400	450	480
पश्चिम बंगाल	325	335	335	380
आंध्र प्रदेश	230	320	400	400
अन्य कुल	*32,075*	*41,925*	*41,485*	*41,610*
गैर पारंपरिक कुल	*103,875*	*129,460*	*132,115*	*136,040*
कुल योग	562,000	691,000	694,000	648,000

स्रोत: रबड़ बोर्ड

अ: अनंतिम